



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 40-2023/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 2023 (PHALGUNA 3, 1944 SAKA)

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा
निर्वाचन सदन, प्लॉट नं० 2, सैक्टर-17, पंचकूला-134109

शुद्धिपत्र

दिनांक 22 फरवरी, 2023

क्रमांक रा०नि०आ०/4ई-11/2023/672.- राज्य में अक्टूबर-नवम्बर 2022 में हुए आम चुनावों के दौरान निर्वाचित पंचायत समितियों के सदस्यों के नाम राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा द्वारा अधिसूचना दिनांक 30.11.2022 द्वारा अधिसूचित किए गए थे। लेकिन निर्वाचित सदस्य के नाम में त्रुटि पाई गई। उस अधिसूचना का विवरण जिनमें त्रुटि पाई गई, निम्न तालिका में दी गई हैं और सम्बन्धित शुद्धि को निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है:-

अधिसूचना क्रमांक	जिला/ खण्ड का नाम	अधिसूचना में क्रम संख्या	पंचायत समिति का नाम	पंचायत समिति वार्ड संख्या	नाम		पिता/पति का नाम		आरक्षण	
					पढ़ा जाये	के स्थान पर	पढ़ा जाये	के स्थान पर	पढ़ा जाये	के स्थान पर
रा०नि०आ०/4ई-11/2022/8461	नूहँ/फिरोजपुर ज़िरका	1	फिरोजपुर ज़िरका	28	नपिसा	नफिसा	-	-	-	-

- कोई संशोधन नहीं

धनपत सिंह,
राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा।

10218—C.S.—H.G.P., Pk1.